यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पोलीटैक्निक, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पोलीटैक्निक, नैनीताल के माह 07/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. के. गर्ग सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29/10/2018 से 01/11/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी. सी. श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं एस. के. डंग, सुपरवाइजर द्वारा दिनांक 23-07-2012 से 25-07-2012 तक श्री एस. के. त्यागी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2006 से 06/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			समर्पण
	प्रा॰ शे॰	आवंटन	व्यय	प्रा॰ शे॰	आवंटन	व्यय	
2015-16	-	320.22	320.22	-	61.99	61.94	0.05
2016-17	-	274.42	274.42	-	45.96	45.57	0.39
2017-18	-	281.84	281.84	-	48.94	48.94	--
2018-19 व्यय 09/2018 तक	-	406.50	237.77	-	62.59	38.14	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		प्राप्त धनराशि				
	प्रा॰ शेष	आवंटन	ब्याज आदि प्राप्तियाँ	योग	व्यय	बचत
2015-16	30.98	9.36	6.73	47.07	33.85	13.22
2016-17	13.21	34.83	11.19	59.23	27.51	31.72
2017-18	31.62	7.00	8.98	47.60	24.00	23.60

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार / भारत सरकार है। इकाई की श्रेणी "सी" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

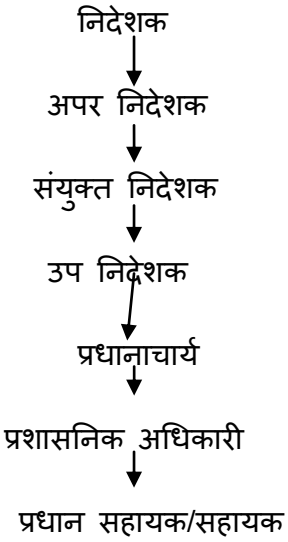

.

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत फ़ाउण्ड्री ब्लाक के निर्माण नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप रुपये 50.00 लाख की धनराशि का पाँच वर्ष की अवधि तक अनुपयोगी एवं अवरुद्ध पड़े रहना तथा इसी योजना पर निष्फल व्यय रुपये 2.23 लाख

शासनादेश संख्या 114/ XLI-1 /11-58/2010 दिनांक 29.03.2011 द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत राजकीय पोलीटैक्निक, नैनीताल के फ़ाउण्ड्री ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन के सापेक्ष रुपये 2.38 लाख अवमुक्त किए गए थे उसके उपरांत शासनादेश संख्या 1152/ XLI-1 /12-58/2010 दिनांक 28.03.2013 द्वारा रुपये 50.00 लाख अवमुक्त किए गए थे । इस धनराशि को निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल के पत्रांक 108/ नि.प्रा.शि. /लेखा बैंक ड्राफ्ट /2013-14 दिनांक 06.04.2013 द्वारा निर्माण एजेंसी परियोजना प्रवंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण इकाई नैनीताल को इस आशय से उपलब्ध कराया गया था कि शीघ्र कार्य आरंभ करते हुये इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराएं ।

उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य कि आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए,तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गए निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निर्माण एजेंसी परियोजना प्रवंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण इकाई नैनीताल के पत्रांक 663/ भवन-2011-12/दिनांक 25.08.2011 द्वारा फ़ाउण्ड्री ब्लाक के निर्माण कार्य पर मात्र रुपये 2.23 लाख का व्यय दर्शाया गया।

उक्त निर्माण एजेंसी के पक्ष में निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल द्वारा कुल रुपये 52.23 लाख (2.23+ 50) की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी परंतु लेखापरीक्षा की तिथि तक रुपये 50 लाख की धनराशि के उपयोग के संबंध में अभिलेख अनुपलब्ध थे । आगे यह भी पाया गया कि कार्यालय भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म, इकाई जिला टास्क फोर्स, नैनीताल हल्द्वानी कि निरीक्षण आख्या सं. 176 /टा. फो. नैनी. /भवन /2013-14 के अनुसार फ़ाउण्ड्री ब्लाक निर्माण हेतु चयनित स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत पाया गया । उक्त आख्या के वावजूद भी निर्माण एजेंसी द्वारा फ़ाउण्ड्री ब्लाक के निर्माण नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप एक ओर अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने से वंचित रहना पड़ा वहीं दूसरी ओर रुपये 2.23 लाख का निष्फल व्यय तथा रुपये 50.00 लाख की धनराशि का पाँच वर्ष की अवधि तक अनुपयोगी एवं अवरुद्ध पड़े रहना गम्भीर उदासीनता का परिचायक है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि धनराशि मुख्यालय द्वारा निर्माण एजेंसी के पक्ष में अवमुक्त कराई गई**,** तथा निर्माण एजेंसी द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार व्यय की गई एवं निर्माण एजेंसी का चयन शासन / मुख्यालय स्तर पर ही किया जाता है। संस्था का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्माण एजेंसी द्वारा फ़ाउण्ड्री ब्लाक के निर्माण नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप एक ओर अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने से

वंचित रहना पड़ा वहीं दूसरी ओर रुपये 2.23 लाख का निष्फल व्यय तथा रुपये 50.00 लाख की धनराशि का पाँच वर्ष की अवधि तक अनुपयोगी एवं अवरुद्ध पड़ी रही । अतः अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने से वंचित रहने एवं रुपये 50.00 लाख की धनराशि का पाँच वर्ष की अवधि तक अनुपयोगी एवं अवरुद्ध पड़े रहने तथा इसी योजना पर रुपये 2.23 लाख का निष्फल व्यय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- **"महिला छात्रावास का निर्माण" के अंतर्गत रुपये 20.00 लाख की धनराशि का तीन वर्ष की अवधि तक अनुपयोगी एवं अवरुद्ध पड़ी रहने तथा उसी योजना पर निष्फल व्यय रुपये 4.53 लाख**

शासनादेश संख्या 113/ XLI-1/2011-30/ 10 दिनांक 21.03.2011 द्वारा भारत सरकार की योजना "महिला छात्रावास निर्माण" के अंतर्गत 50 सीटर महिला छात्रावास निर्माण हेतु रुपये 4.53 लाख की धनराशि निर्माण एजेंसी, परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण इकाई नैनीताल के पक्ष में अवमुक्त की गई थी । तथा भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.15-3 / 2015-TS.IV दिनाँक 29.10.2015 द्वारा राजकीय पोलीटैक्निक, नैनीताल को प्रथम किश्त के रूप में रुपये 20.00 लाख की धनराशि सीधे अवमुक्त की गई थी ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निर्माण एजेंसी, परियोजना प्रवंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण इकाई नैनीताल के पत्रांक 987/ भवन-28/ 8 दिनांक 24.06.2015 द्वारा 50 सीटर महिला छात्रावास निर्माण हेतु रुपये 4.53 लाख की धनराशि का व्यय दर्शाया गया ।

उक्त निर्माण एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.15-3 / 2015-TS.IV दिनाँक 29.10.2015 द्वारा रुपये 20.00 लाख की धनराशि सीधे राजकीय पोलीटैक्निक नैनीताल को उपलब्ध कराई गई थी परंतु लेखापरीक्षा की तिथि तक रुपये 20.00 लाख की धनराशि के उपयोग के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे । परिणाम स्वरूप एक ओर भारत सरकार की योजना "महिला छात्रावास निर्माण" के अंतर्गत 50 सीटर महिला छात्रावास निर्माण का लाभ मिलने से छात्राओं को वंचित रहना पड़ा वहीं दूसरी ओर रुपये 4.53 लाख का निष्फल व्यय तथा रुपये 20.00 लाख की धनराशि का तीन वर्ष की अवधि तक अनुपयोगी एवं अवरुद्ध पड़ी रही। इसके अतिरिक्त उक्त निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड तथा (ब्रिड्कुल) ब्रिज,रोपवे,टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को भी कार्यदाई संस्था नियुक्त किया गया। इस प्रकार एक निर्माण एजेंसी की नियुक्ति कर उसके द्वारा रुपये 4.53 लाख का निष्फल व्यय किए जाने के पश्चात अन्य दो निर्माण एजेंसियों का नियुक्त किया जाना भी विभागीय कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि धनराशि मुख्यालय द्वारा निर्माण एजेंसी के पक्ष में अवमुक्त कराई गई, तथा निर्माण एजेंसी द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार व्यय की गई एवं निर्माण एजेंसी का चयन शासन / मुख्यालय स्तर पर ही किया जाता है। संस्था का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्माण एजेंसी का चयन किए जाने तथा उसके द्वारा रुपये 4.53 लाख का निष्फल व्यय किए जाने के पश्चात अन्य दो निर्माण एजेंसियों का चयन किया जाना औचित्यहिन था । अतः भारत सरकार की योजना "महिला छात्रावास का निर्माण" के अंतर्गत 50 सीटर महिला छात्रावास निर्माण का लाभ मिलने से छात्राओं को वंचित रहना पड़ा वहीं दूसरी ओर रुपये 4.53 लाख का निष्फल व्यय तथा रुपये 20.00 लाख की धनराशि का तीन वर्ष की अवधि तक अनुपयोगी एवं अवरुद्ध पड़ी रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- सुदृढ़ीकरण हेतु किये गये व्यय रु. 1.42 करोड़ के सप्लायर्स को भुगतान के सापेक्ष TDS की कटौती ₹ 2,93,543 की कटौती न करने के संबंध में।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक के परिशिष्ट -25 में स्पष्ट प्रविधान है कि यदि भुगतान किसी आपूर्तिकर्ता (suppliers) को किया जाता हैं तो निर्धारित दर पर उनके बिल के भुगतान के सापेक्ष 2% TDS कटोती अनिवार्य हैं। कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पोलीटेक्निक नैनीताल द्वारा संचालित मशीन साज-सज्जा मद संख्या- 26 एवं भारत सरकार द्वारा पोलोटेकनिक के सुदृढ़ीकरण (UPGRADATION) हेतु वित्त-पोषित धनराशि योजना के अंतर्गत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं (suppliers) को उनके द्वारा किए निम्न बिल/वाउचर के सापेक्ष TDS कटौती नहीं की गयी थी। विवरण निमन्वत हैं -

योजना का नाम	Billno	Dinak	धनराशि(GST sahit) ₹ में	Trader/Supplier का नाम
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION)	2370	09/01/15	275000.00	LIPI entriprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION)	2474	09/01/15	308000.00	LIPI Enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1383	09/01/14	131600.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION)	95	15/10/15	321500.00	AbtechElectronics
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	2475	09/01/15	146000.00	LIPI Enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	2422	17/01/16	42500.00	LIPI Enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1363	08/03/16	237600.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	2477	18/01/16	192000.00	LIPI Enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1209	01/07/16	130476.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	2487	01/02/16	171200.00	LIPI Enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1208	01/02/16	291000.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	2486	01/02/16	726756.00	LIPI Enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1315	19/01/16	49500.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1313	19/01/16	360800.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1310	17/01/16	152000.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1192	05/06/15	137500.00	Universal enterprises
–सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	2349	07/01/15	44400.00	LIPI Enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1200	12/06/15	21000.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	517	22/06/15	209475.00	Liptal engineering
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1191	07/06/15	2090000.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	2345	04/06/15	1529000.00	LIPI Enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1189	04/06/15	410760.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1190	04/06/15	398400.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	292	23/03/15	1500000.00	Capital engineering works

सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	748	10/09/14	195452.00	Radical instruments
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	425	-	82500.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	435	13/0814	12600.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	438	05/08/14	232900.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	437	13/08/14	107100.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	436	13/08/14	215300.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADITI)	430	13/08/1	309000.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	428	13/08/14	231300.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	10619	19/03/14	92846.00	INFOSYS/cannon
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	1527	31/01/17	41625.00	Universal enterprises
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	731	07/04/14	316197.12	INFOTECH
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	247	30/11/13	194206.00	NATRAJ Engineering services
सुदृढ़ीकरण(UPGRADATION	-	08/04/14	2770000.00	NATRAJ Engineering services
			योग	₹ 14677135.12

इस प्रकार संस्था को ₹14677135.12 की उक्त धनराशि पर 2% की दर से ₹ 3.02 लाख की टीडीएस की कटौती की जानी चाहिए थी परंतु कॉलेज द्वारा उक्त प्रकरण में आयकर अधिनियम -1961 की धारा -194 सी का उल्लंघन कर उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती नहीं की थी। इस ओर सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछे जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया हैं कि उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती के संबंध मे सभी vendors को पत्र भेज उनसे टीडीएस कटौती का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा तथा भविष्य मे टीडीएस कटौती की जाएगी। सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि विभाग द्वारा लगभग नियमो से अंजान बनते हुए उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती नहीं की थी।प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं ।

STAN

प्रस्तर:1- सामुदायिक विकास योजना (सी॰डी॰टी॰पी॰) का कार्यान्वयन समुचित रूप से न किया जाना।

सामुदायिक विकास योजना (सी॰डी॰टी॰पी॰) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 मे ग्रामीण क्षेत्रों एवं झोपड़ पट्टी मे निवासरत ऐसे वंचित व्यक्तियों को ध्यान मे रखकर शुरू की गयी थी जो अच्छी शिक्षा एवं उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण का खर्च वहन करने मे असमर्थ होते है, ताकि वे भी आधुनिक तकनीको का लाभ प्राप्त कर बेहतर जीवन यापन कर सके । योजना का संचालन एआइसीटीई मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक के माध्यम से किया जाना था । योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

1. To Carry out Need Assessment Surveys to assess the technology and training needs;
2. To Impart Skill Development Training to the intended target groups;
3. To disseminate Appropriate Technologies for productivity enhancement;
4. To provide Technical and Support Services to rural masses and slums dwellers;
5. To create Awareness among the target groups about technological advancement and contemporary issues of importance.

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक, नैनीताल के सामुदायिक विकास योजना (सी॰डी॰टी॰पी॰) के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि मे योजना के उपरोक्त पांचों घटको के अन्तर्गत क्रियाकलापो को या तो शुरू ही नही किया गया था या फिर अनुमोदित लक्ष्यो के सापेक्ष उपलब्धियां अत्यधिक न्यून थी । उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 से 5 तक योजना के क्रियाकलापो को संचालित करने के लिए अनुमोदित संख्या से कम गांवो का चयन किये जाने के फलस्वरूप अनुमोदित संख्या से कम लाभार्थियो को ही योजना का लाभ दिया जा सका, जो कि योजना क्रियान्वयन के प्रति विभागीय उदासीनता को परिलक्षित करता है । लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि बजट की अल्प उपलब्धता एवं लाभार्थी उपलब्ध न होने के कारण पाठ्यक्रम/ कैम्प संचालित नहीं किये जा सके, इसके अतिरिक्त कम संख्या मे लाभार्थियो को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध मे इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिकतम प्रयास किया गया था। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि लेखा परीक्षा अवधि मे योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि[1] अवशेष थी, जिसका उपयोग लाभार्थियो के कल्याण के लिए किया जा सकता था, साथ ही योजना के अंतर्गत अनुमोदित गांवो को पूर्ण रूप से कवर न किए जाने के फलस्वरूप योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, जो कि योजना क्रियान्वयन मे विभागीय उदासीनता को परिलक्षित करता है ।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

[1] वित्तीय वर्ष 2012-13 मे अवशेष धनराशि `5.91लाख, 2013-14 मे अवशेष धनराशि `5.43लाख, 2014-15 मे अवशेष धनराशि `12.19 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 मे अवशेष धनराशि `6.83लाख, वित्तीय वर्ष 2016-17 मे अवशेष धनराशि `11.21लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 मे अवशेष धनराशि `9.60 लाख ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
13/2003-04	शून्य	01	शून्य
139/2006-07	शून्य	01	शून्य
47/2012-13	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पोलीटैक्निक, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	दिनांक
1.	श्री एम.एस. बिष्ट,	प्रधानाचार्य	04-07-2008 से 31-12-2013 तक
2.	श्री एम. के. सिंह,	प्रधानाचार्य	01-01-2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पोलीटैक्निक, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी जिसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.